प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 14 अक्टूबर, 2015

विषय-जिला कारागार, कानपुर देहात, सिद्वार्थनगर, कौशाम्बी एवं गौतमबुद्वनगर के लिए एक-एक नग बोलेरो एवं एक-एक नग एम्बुलेंस के क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30512/नजारत-4/60/वा0का0/2015, दिनांक-28 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला कारागार, कानपुर देहात, सिद्वार्थनगर, कौशाम्बी एवं गौतमबुद्वनगर के उपयोगार्थ 04 नग बोलेरो एलएक्स 2 बीएस 4एनएसी जीप के क्रय हेतु रू0 23,73,594/- तथा 04 नग टाटा सूमों एम्बुलेंस ईजीआर डब्लूबी 2400 एमएम बीएस-3 एम्बुलेंस हेतु रू0 20,84,932/- इस प्रकार कुल 08 नग नये वाहनों के क्रय किये जाने हेतु रू0 44,58,526/-(रूपया चौवालीस लाख अट्ठावन हजार पॉच सौ छब्बीस मात्र) की धनराशि आहरित कर व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) डी0जी0एस0एन0डी0 दरों की अनुमन्यता एवं उसकी वैधता अवधि के संबंध में विभाग स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(2) वाहनों का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं शासनादेशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

(3) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) प्रश्नगत वाहनों का क्रय समस्त सुसंगत नियमों तथा विहित प्रक्रिया का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा एवं क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त शर्तों का अनुपालन महानिरीक्षक कारागार एवं कारागार मुख्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक सुनिश्चित करेंगे और इन शर्तों में किसी प्रकार के विचलन के वे उत्तरदायी होंगे।

(6) वाहनों के क्रय के बाद यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

(7) धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1314/दस-2015, दिनांक- 12 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव

संख्या-193/2015/1002(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।